राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj1@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O).

पत्रांकः CCE/ISDC/Misc/Direction/2022/ 293 दिनांक 06.01.2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :— महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु वित्तीय जागरूकता, महिला अधिकारिता कानून, आत्मरक्षा एवं महिला स्वास्थ्य हेतु दिनांक 12 से 15 फरवरी, 2024 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी।

लेख है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में वित्तीय जागरूकता अभिवृद्वि, सर्वागीण विकास एवं महाविद्यालय में सुरक्षित , सकारात्मक व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए स्व–सुरक्षा, महिला अधिकारिता कानून, वित्तीय परामर्श एवं महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। अतः छात्राओं में जागरूकता अभिवृद्वि हेतु दिनांक 12 से 15 फरवरी, 2024 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम/संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें जागरूक/प्रशिक्षित किया जावे।

इस हेतु प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि –

- महाविद्यालय में गठित महिला प्रकोष्ठ समिति द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस महाविद्यालय में समिति गठित नहीं है वहां प्राचार्य महिला समिति का गठन करें।
- जिन महाविद्यालयों में महिला संकाय सदस्य नहीं हैं वे अपने DRAC नोडल महाविद्यालय से संपर्क कर निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों से महिला संकाय सदस्य की मांग कर इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएं या प्राचार्य अपने स्तर पर छात्राओं हेतु स्थानीय महिला प्रशासनिक , पुलिस या चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करावें।
- जिन महाविद्यालयों में महिला संकाय सदस्य नहीं हैं वे महाविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक महिला कर्मचारी से भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सहायता ले सकते है।
- समस्त गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
- किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयी समय के दौरान ही करवाया जायेगा ताकि अधिकतम छात्राएं इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके।
- इस कार्यक्रम का समस्त व्यय विकास समिति या छात्रनिधि कोष से किया जाए, जिसकी अनुमति प्रदान की जाती है।

- महाविद्यालय प्राचार्य अपने क्षेत्र के एन.जी.ओ एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से इस प्रकार के प्रशिक्षण संवाद कार्यक्रम को आयोजित करवायें।
- इस कार्यक्रम की समस्त सूचनाऐं गूगल ड्राइव में Training Program for Girls नाम से फोल्डर बनाकर उसका लिंक आयुक्तालय द्वारा जारी स्प्रेडशीट में भरकर भिजवाना सुनिश्चित करें। (स्प्रेडशीट GC Principals व्हाट्सएप्प ग्रुप में प्रेषित कर दी जायेगी।)
- छात्राओं को दिये जाने वाले जागरूकता प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाये–

1. महिला अधिकारिता कानूनः– IPC एवं CRPC के महिला संरक्षण हेतु नवीन बदलाव ,पोक्सो कानून (निर्भया के उपरान्त अपराधिक न्याय प्रणाली) धरेलू हिंसा एक्ट, Human Trafficking के रोकथाम के कानूनी प्रावधान।
2. महिला स्वास्थ्य :– सेहतमंद जीवन के आधार सूत्र
3. आत्मरक्षाः सुरक्षित घर, सड़क कार्यस्थल एवं समाज, डिजीटल काईम्स की रोकथाम के उपाय, महिला हिंसा प्रतिरोध के मजबूत उपाय, किसी घटना के घटित होने पर स्वरक्षा हेतु तुरन्त प्रतिकिया क्या हो
4. आपदा प्रबंधन एवं महिलाओं हेतु वित्तीय सुरक्षा। SHG ग्रुप्स की श्रेष्ठ प्रक्रियां

उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ अपने स्तर पर छात्राओं को इन विषयों से सम्बन्धित अन्य जानकारियों और गतिविधियों से भी अवगत करा सकते है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु निम्न अधिकारी से संपर्क कर सकते है–

प्रो. ललिता यादव प्रभारी अधिकारी, ISDC 8209852519

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/Misc/Direction/2022/ 293 दिनांक 06.01.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव,आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. वेब प्रभारी,आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान